

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

का.आ. 1987(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 4 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1412(अ) के पैरा 1 में "कर निर्धारण वर्ष 2003-2004" को "वित्तीय वर्ष 2003-2004" पढ़ा जाए।

[सं. 343/2006/फा.सं. एन.सी.-156/2002]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)